1935 ई० के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता

1935 ई० का अधिनियम एक विस्तृत अधिनियम था। इसमें 451 धाराएं एवं 15 परिशिष्ट थे। इसमें किसी संवैधानिक शासन की व्यवस्था नहीं थी। इसमें औपनिवेशिक स्वराज्य का भी कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। अपितु वास्तविक शासन सत्ता ब्रिटिश सरकार और गवर्नर जनरल के अधीन थी। इस एक्ट का महत्व यह है कि इसमें प्रान्तीय स्वायत्तता स्थापित की गई तथा केन्द्र में आंशिक उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया था।

विशेषता : 1935 ई० के एक्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी-

① अखिल भारतीय संघ की स्थापना :-

- यह संघ 11 ब्रिटिश प्रान्तो, 6 चीफ कमिश्नरीज एवं देशी रियासतो से मिलकर बनना था।
- प्रान्तो का सम्मिलित होना अनिवार्य था किन्तु रियासतो का प्रवेश उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया था।
- संघ और इकाईयो (प्रान्तो) के विवादो का निर्णय करने के लिए संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई
- रियासतो को एक प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना था और उन शर्तो एवं शक्तियों का उल्लेख किया जाना था, जिसके आधार पर शामिल होना चाहते थे

② केन्द्र में द्वैध शासन की स्थापना :-

- इस एक्ट द्वारा केन्द्र में द्वैधशासन की स्थापना की गई
- संघीय विषयों को दो भागो में बांटा गया - ① आरक्षित विषय ② हस्तान्तरित विषय
- संरक्षित विषय में प्रतिरक्षा, विदेश सम्बंध, धार्मिक विषय, कबाइली क्षेत्र की व्यवस्था शामिल थे। इसका प्रबंध गवर्नर जनरल के हाथों में रखा गया।

- आरक्षित विषयों को छोड़कर शेष हस्तान्तरित विषय थे। इनका प्रशासन गवर्नर जनरल मंत्रियों के परामर्श से करेगा।
- गवर्नर जनरल को व्यापक विशेषाधिकार प्रदान किये गए जैसे वित्तीय व्यवस्था की सुरक्षा, वित्तीय साख, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा।

(3) विधान सभाओं का विस्तार :-

- संघीय व्यवस्थापिका को द्विसदनात्मक बनाया गया, प्रथम संघीय विधानसभा, द्वितीय राज्यपरिषद
- संघीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 375 और राज्यपरिषद की सदस्य संख्या 260 निश्चित की गई।
- राज्यपरिषद के 156 सदस्य ब्रिटिश भारत से एवं 104 सदस्य रियासतों से होते थे।
- देशी राजाओं को प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार दिया गया एवं ब्रिटिश भारत क्षेत्र के सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था।
- प्रान्तीय विधान सभाओं का भी पुनर्गठन किया गया। बम्बई, बंगाल, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, आसाम में द्विसदनात्मक एवं पंजाब, मध्यप्रांत उड़ीसा, सिंध, सीमा प्रांत में एक सदनवाली विधान सभा रखा गया।
- विधान सभाओं की सदस्य संख्या में वृद्धि कर दी गई। साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली बनी रही। 15% जनसंख्या को मताधिकार प्राप्त हुआ
- प्रान्तों में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति लागू की गई।

(4) प्रान्तीय स्वायत्तता :-

- इस एक्ट द्वारा प्रान्तों में द्वैधशासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई इसके स्थान पर प्रान्तीय स्वायत्तता स्थापित की गई
- इसके तहत गवर्नर को प्रान्त के मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करना था और मंत्रिमण्डल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थी
- किन्तु गवर्नरों को विशेषाधिकार दिये गए थे जैसे वह मंत्रियों को इच्छानुसार पद से हटा सकता था, मंत्रियों के परामर्श को अस्वीकार कर सकता था, गवर्नर व्यक्तिगत निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र था।
- गवर्नर जनरल कभी भी प्रांतों में उत्तरदायी शासन का अंत कर सकता था

⑤ संघीय न्यायालय की स्थापना :-

- इस एक्ट द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई
- इसका कार्य संघ तथा प्रान्तो के बीच आपसी विवादो का समाधान करना था
- संघीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध प्रिवी कौंसिल में अपील की जा सकती थी।

⑥ अभिरक्षण की व्यवस्था :-

- इस एक्ट में अंग्रेजी शासन के हितो की रक्षा की भी व्यवस्था की गई
- ये अभिरक्षण इस प्रकार थे कि शासन सत्ता गवर्नर जनरल और गवर्नरो के हाथों में रहे और अंग्रेजो का अहित न हो सके।
- अतः उन्हें व्यक्तिगत निर्णय करने का अधिकार प्रदान किया गया

⑦ इण्डिया कौंसिल की समाप्ति :-

- इस एक्ट द्वारा भारत मंत्री को परामर्श देने वाली इण्डिया कौंसिल को समाप्त कर दिया गया।
- इसके स्थान पर 3 परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई किन्तु भारत मंत्री इनके परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं था
- भारत मंत्री के अधिकारों मे भी कमी की गई

⑧ ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता :-

- इस एक्ट के अनुसार प्रभुसत्ता ब्रिटेन के हाथों में रखी गई
- इस अधिनियम में किसी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद को था।

यह अधिनियम 1919 के एक्ट की अपेक्षा अच्छा था। इसमे गुण एवं दोष दोनों थे। इस एक्ट द्वारा प्रान्तीय स्वायत्तता, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति लागू की गई किन्तु इसमे भारतीयो के स्वराज्य की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। ब्रिटिश प्रभुसत्ता पूर्व की भांति रखी गई थी। गवर्नर जनरल एवं गवर्नरो को विशेषाधिकार दिये गए, जो भारत मंत्री के प्रति उत्तरदायी थे।

डॉ॰ उमा शंकर गुप्ता
एसो॰ प्रोफेसर- इतिहास